गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 158वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 26.08.2021 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 158वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 26.08.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :-

1.	श्री सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ		अध्यक्ष
2.	श्री कृष्णा करूणेश, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद		उपाध्यक्ष
3.	श्री राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी गाजियाबाद		सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद		सदस्य
5.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मेरठ मण्डल, मेरठ		सदस्य
6.	श्री कृष्ण मोहन, सहयुक्त नियोजक एन0सी0आर0 सेल प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ एवं चीफ कोर्डिनेटर, एन0सी0आर0 प्लानिंग सेल		सदस्य
7.	श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय उपप्रबन्धक उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम		सदस्य
8.	श्री राकेश चन्द्र ,अधीक्षण अभियन्ता, आवास विकास परिषद, वसुन्धरा।		सदस्य
9.	श्रीमती कृष्णा त्यागी		गैर सरकारी सदस्य
10.	श्री सचिन डागर		गैर सरकारी सदस्य
11.	श्री हिंमाशु मित्तल		गैर सरकारी सदस्य
12.	श्री पवन गोयल		गैर सरकारी सदस्य
13.	श्री केशव त्यागी		गैर सरकारी सदस्य
14.	मौ0 आसिफ खान		गैर सरकारी सदस्य

Rkumar

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0		विषय	निर्णय
158 / 1 प्रशासन		प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 06.08.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	मा0 बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
158 / 2 प्रशासन		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 157वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 20.02.2021 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	मा0 बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अनुमोदित की गयी।
158 / 3 नियोजन		खन्ना नगर कालोनी के तलपट मानचित्र में सृजित सिनेमा भूखण्ड के उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सन्दर्भित भूमि के स्वामित्व की जांच पुनः करा ली जाये।
158 / 4 नियोजन		दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ हेतु प्रस्तावित RRTS परियोजना में प्रस्तावित Influence Zone तथा Special Development Area को अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव अनुमोदित कर अधुसूचित करने हेतु शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया तथा उक्त का समावेश तैयार की जा रही गाजियाबाद महायोजना – 2031 में भी कर लिया जाये।
158 / 5 नियोजन		कोयल एन्क्लेव में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या–जी0एच0–03, कुल क्षेत्रफल 5994.08 वर्ग मी0 को ग्रुप हाउसिंग उपयोग से व्यवसायिक तथा शैक्षणिक भूखण्ड ई–01 कुल क्षेत्रफल 8565 वर्ग मी0 को सार्वजनिक / अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं (हॉस्पिटल) में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि भूखण्ड संख्या–जी0एच0–3 को व्यवसायिक तथा इतने ही क्षेत्रफल की भूमि को व्यवसायिक से ग्रुप हाउसिंग में परिवर्तित कर लिया जाये। भूखण्ड संख्या ई–01 को सार्वजनिक / अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं (हॉस्पिटल) में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने स्वीकृति प्रदान की गयी।
158 / 6 अभियन्त्रण		मधुबन–बापूधाम योजना के आवासीय भूखण्डों हेतु वर्ष 2008 में स्वीकृत विकसित भूमि दर में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बढ़े हुए प्रतिकर को समावेशित करते हुए संशोधित विकसित भूमि दर के मूल्यांकन के अनुमोदन हेतु गत बैठक में प्रेषित प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि जो आवंटी भूखण्डों की बढ़ी हुई दरों के साथ भूखण्ड न लेना चाहे, उनकी धनराशि 9% ब्याज सहित वापस कर दी जाये।

158 / 7 व्यवसायिक		प्राधिकरण की अनिस्तारित सम्पत्तियों के नीलामी / लॉटरी हेतु न्यूनतम आरक्षित दरों के निर्धारण हेतु सैक्टर रेट दिनांक 31 मार्च, 2022 तक फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त इस शर्त पर अनुमोदन किया गया कि भूखण्डों तथा भवनों की दर 2012 से फ्रीज होने के उपरान्त भी कुल 2158 भवनों, दुकानों एवं अन्य निर्मित सम्पत्तियाँ तथा कुल 376 भूखण्ड अभी तक निस्तारित नहीं हुए हैं। यदि भूखण्डों की कीमतों में वृद्धि कर दी जायेगी तो सम्पत्तियों के निस्तारण की सम्भावना नगण्य हो जायेगी, क्योंकि कौशाम्बी, वैशाली, इन्दिरापुरम की दरें पूर्व में फ्रीज से मुक्त करने के उपरान्त भी सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हो रहा है। कौशाम्बी, वैशाली, इन्दिरापुरम एवं मुधबन बापूधाम योजनाओं के भूखण्डों की दरें जिलाधिकारी सर्किल रेट अथवा योजना की सेक्टर दर जो अधिक हो, पर विक्रय किये जायेगें। अवशेष अन्य योजनाओं में भवनों / भूखण्डों की दरें यथावत फ्रीज की जाती हैं। भूखण्डों का निस्तारण नीलामी के आधार पर पारदर्शिता से की जाय।
158 / 8 सम्पत्ति		कोविड–19 के दृष्टिगत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों की सम्पत्तियों की किश्तों पर ब्याज की दरों में एकरूपता रखने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि अनुमोदन की तिथि से आगामी 02 वर्ष तक नई आवंटित सम्पत्ति पर ही लागू होगा।
158 / 9 लेखा		वित्तीय वर्ष 2019–20 की बैलेन्सशीट का अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में। (बुक संलग्न है।)	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
158 / 10 पूल		जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक 1495 / एस.टी. –डी.एम. / 2019 दिनांक 22.05.2019 के अनुपालन में शहर की यातायात व्यवस्था हेतु 08 टोइंग क्रेन किराये पर लेकर यातायात पुलिस गाजियाबाद को 01 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
158 / 11 पूल		प्राधिकरण की विभागीय 04 अमितव्ययी एम्बेसडर कारों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
158 / 12 नियोजन		विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्गो से सटे कतिपय भवनों के अनुरक्षण. एवं मरम्मत) उपविधि–2021 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
158 / 13 नियोजन		उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–16 के परन्तुक के अधीन उपविधि के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

158 / 14 प्रशासन	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन / उपादान दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या–525 / आठ–5–21–6ई / 2016, दिनांक 24.02.2021 को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
158 / 15 प्रशासन	श्री अजय कुमार शर्मा, वर्क सुपरवाईजर के चिकित्सा बिलों रू0 5,30,155.00 के भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।
158 / 16 प्रशासन	श्री सूबेदार सिंह, वर्क सुपरवाईजर के पुत्र सुमित राघव के ईलाज में हुए चिकित्सा व्यय की धनराशि रू0 17,46,042.00 का भुगतान श्री सूबेदार सिंह, वर्क सुपरवाईजर को किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्तुत बिलों का पुनः परीक्षण कराने के बाद भुगतान की कार्यवाही की जाय।
158 / 17 नियोजन	प्रभावी गाजियाबाद महायोजना–2021 में स्वीकृत जोन–1 के जोनल प्लान में दर्शाये गये हाईटेंशन लाईन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव शासन के उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 को धारा 13 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही से शासन को प्रेषित करने तथा उक्त का समावेश तैयार की जा रही महायोजना 2031 में कर लिये जाने का निर्णय लिया गया। अनुमोदन उपरान्त ही कोई कार्यवाही स्वीकृत सम्बन्धी की जाये।
158 / 18 नियोजन	खसरा संख्या 608 व 609 ग्राम बसन्तपुर सैंतली, मुरादनगर गाजियाबाद पर निर्मित ध्यान एवं सत्संग की कृषि भूमि को संस्थागत भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग से भूमि के स्वामित्व की जांच करा ली जाये कि सन्दर्भित भूमि उनके विभाग की तो नहीं है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(बृजेश कुमार)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(कृष्णा करूणेश)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(सुरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

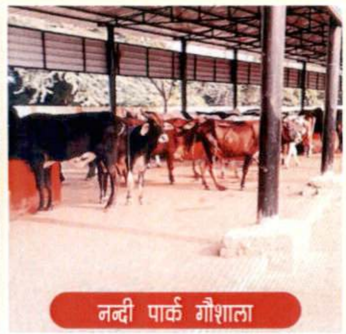

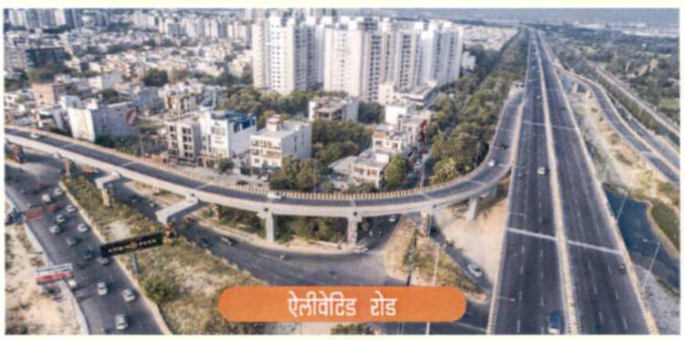

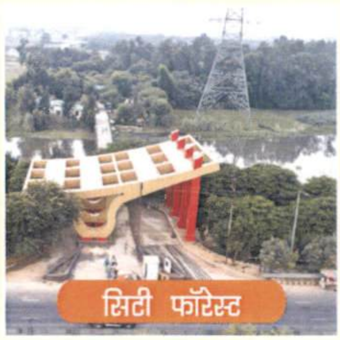

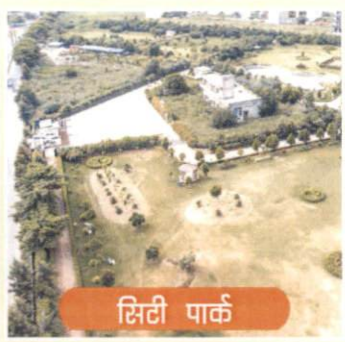

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

ISO 9001:2005; ISO 14001:2015 Certified

हमारा संकल्प : एक सुंदर शहर